165

संख्या-80/1-10-2014-12(65)/13

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक : 31 जनवरी, 2014

विषय - वर्ष 2013-14 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-637/आ0लि0/2013-14, दिनांक 27-01-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित सिंचाई विभाग, बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम बस्ती के 48 कार्यों की मरम्मत हेतु कुल लागत रू0 1716.80 लाख में से (रू0 10.00 लाख से कम की लागत के दो कार्यों को छोड़ने पर) कुल आंकलित लागत रू0 1699.46 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 8,49,73,000/- (कुल रूपये आठ करोड़ उन्चास लाख तिहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	कार्य/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (लाख रू0 में)	प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
1	सिंचाई विभाग बाढ़ कार्य खण्ड–प्रथम बस्ती।	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 0.620 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	47.51	23.755
2	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 0.675 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	43.78	21.89
3	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 0.750 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	43.78	21.89
4	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 0.810 पर	47.51	23.755

		निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।		
5	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 0.890 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	48.99	24.49[illegible]
6	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 01.025 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	46.66	23.33
7	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 01.100 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	47.51	23.755
8	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 01.360 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	46.66	23.33
9	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 7.400 पर स्थित डैम्पनर के पुनर्स्थापना का कार्य।	24.79	12.395
10	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 8.600 पर स्थित स्पर के अपस्ट्रीम के चैनेज 175 से 200 मी0 के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य।	21.58	10.79
11	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 8.600 से 8.800 के मध्य स्थित 07 नं0 कटर के पुनर्स्थापना का कार्य।	49.79	24.895
12	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 8.800 से 8.900 के मध्य स्थित 04 नं0 कटर के पुनर्स्थापना का कार्य।	29.02	14.51
13	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 8.950 से 9.450 के मध्य स्थित लांचिंग एप्रेन के पुनर्स्थापना का कार्य।	42.77	21.385
14	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.00 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना का कार्य।	28.98	14.49
15	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.100 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना का कार्य।	44.16	22.08
16	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.340 पर स्थित स्टड के पुनर्स्थापना का कार्य।	18.82	9.41
17	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.450 से 10.750 के मध्य स्थित 05 नं0 कटर के पुनर्स्थापना का कार्य।	36.27	18.135
18	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.750 पर स्थित स्पर के डाउन स्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	34.64	17.32
19	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.925 पर स्थित स्पर के डाउन स्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	34.78	17.39
20	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.925 से 11.035 के मध्य दो अदद शार्ट बोल्डर डिफलेक्टर के पुनर्स्थापना का कार्य।	39.37	19.685
21	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.450	49.91	24.955

		पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना का कार्य।		
22	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.150 पर स्थित स्पर के नोज की पुनर्स्थापना का कार्य।	49.77	24.885
23	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.150 पर स्थित स्पर के डाउन स्ट्रीम लांचिंग एप्रन अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम पर स्लोप पिचिंग के पुनर्स्थापना का कार्य।	47.59	23.795
24	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.150 पर स्थित स्पर के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम लांचिग एप्रन के पुनर्स्थापना का कार्य।	48.67	24.335
25	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.750 पर स्थित स्पर के अपस्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	49.75	24.875
26	" "	विक्रमजोत–धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.925 पर स्थित स्पर के अपस्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	39.26	19.63
27	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 03.700 से 04.200 के मध्य कन्ट्री साइड के तटबन्ध के पुनर्स्थापना कार्य।	29.33	14.665
28	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 0.500, 2. 400, 3.700, 4.400, 8.00 तथा 12.600 पर तटबन्ध के पुनर्स्थापना कार्य।	37.61	18.805
29	" "	काशीपुर–दैवीलिया तटबन्ध के किमी0 2.400 से 2.600 के मध्य बम्बू कैट द्वारा अस्थायी कटर निर्माण की परियोजना का कार्य।	37.57	18.785
30	" "	काशीपुर–दैवीलिया तटबन्ध के किमी0 2.035 एवं 2.265 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्डर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	38.51	19.255
31	" "	काशीपुर–दैवीलिया तटबन्ध के किमी0 2.035 एवं 2.065 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्डर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	38.71	19.355
32	" "	काशीपुर–दैवीलिया तटबन्ध के किमी0 2.135 एवं 2.165 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्डर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.81	19.905
33	" "	काशीपुर–दैवीलिया तटबन्ध के किमी0 2.335 एवं 2.365 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्डर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.63	19.815
34	" "	काशीपुर–दैवीलिया तटबन्ध के किमी0 2.535 एवं 2.565 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्डर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.91	19.955

35	" "	काशीपुर–दैवीलिया तटबन्ध के किमी0 2.435 एवं 2.465 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्डर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.49	19.
36	" "	कटरिया–चांदपुर तटबन्ध के किमी0 4.000 से 5.400 के मध्य रैम्प मरम्मत का कार्य।	20.31	10.155
37	" "	कटरिया–चांदपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 4.000 के मध्य रैम्प बनाने एवं सोलिंग का कार्य।	39.68	19.84
38	" "	चॉदपुर–गौरा तटबन्ध के किमी0 0.000 से 4.000 के मध्य रैम्प मरम्मत का कार्य।	35.05	17.525
39	" "	चॉदपुर–गौरा तटबन्ध के किमी0 0.000 से 0.800 के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य।	23.52	11.76
40	" "	चॉदपुर–गौरा तटबन्ध के किमी0 1.200 से 1.800 के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य।	22.55	11.275
41	" "	चॉदपुर–गौरा तटबन्ध के किमी0 0.600 से 1.200 के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य।	23.28	11.64
42	" "	हरैया–पन्डूल घाट तटबन्ध के किमी0 0.800 से 1.200 तक मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	14.30	7.15
43	" "	हरैया–पन्डूल घाट तटबन्ध के किमी0 1.200 से 1.800 तक मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	19.74	9.87
44	" "	हरैया–पन्डूल घाट तटबन्ध के किमी0 9.000 से 9.200 तक मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	10.88	5.44
45	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 13.200 पर निर्मित स्पर के अपस्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	43.63	21.815
46	" "	गौरा–सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 13.200 पर निर्मित स्पर के डाउनस्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	43.63	21.815
		योग	1699.46	849.73

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया

जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ् पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के

सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 80(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी बस्ती।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।